



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228710
CG-DL-E-03082021-228710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2892]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943

No. 2892]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3118(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई), मीरजापुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, तो इसे करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	चुनार	बरईपुर	589	0.1350
2			570	0.0126
3		करहट	27 मिन्ज	0.0110
4			25 मिन्ज	0.0180
5			24 मिन्ज	0.0158
6			21 मिन्ज	0.0037
7			17 मिन्ज	0.0109
8			9 मिन्ज	0.0031
9			6 मिन्ज	0.0116
10			518	0.0461
11			519	0.0225
12			521	0.0080
13			522	0.0080
14			401 मिन्ज	0.0264
15			402 मिन्ज	0.0180
16			403 मिन्ज	0.0120
17			404 मिन्ज	0.0240
18		पुरैनी	908 मिन्ज	0.0659
19			880	0.0180
20			881	0.0150
21			882	0.0045
22			894	0.0134
23			939	0.0320
24			938 मिन्ज	0.1050
25		मकईपुर	237 मिन्ज	0.0180
26			50	0.0050
27		कुण्डाडीह	404 मिन्ज	0.0146
28			258 मिन्ज	0.0714
29			332 मिन्ज	0.1932
30			371 मिन्ज	0.0437
31			397 मिन्ज	0.0220
32			398 मिन्ज	0.1242
33			410	0.0700
34			411	0.0020
35			409 मिन्ज	0.0135

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
36			407 मिन्ज	0.0873
37			159	0.0290
38			384 मिन्ज	0.0400
39		बहरामगंज	67 मि	0.2500
40			86	0.0700
41			87	0.0510
42			88	0.0250
43			89	0.1390
44			90	0.2020
45			91	0.0250
46			92	0.0250
47			93	0.0630
48			94	0.0630
49			95	0.0130
50			102	0.1900
51			225	0.0700
52			229	0.0250
53			230 मि	0.1520
54			231	0.0250
55			232	0.1500
56			256 मि	0.0290
57			257	0.0670
58			258	0.0200
59			259	0.0100
60			260	0.0850
61			261	0.1610
62			262	0.0630
63			263	0.1260
64			264	0.1010
65			265	0.0630
66			266	0.1390
67			282 मिन्ज	0.0030
68			283	0.0030
69			284 मि	0.1600
70			289 मिन्ज	0.0140
71			291	0.0550

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
72			294 मि	0.1900
73			295 मिन्ज	0.1788
74			296 मिन्ज	0.0620
75			297	0.0300
76		दरगाह शरीफ	332 मि	0.0740
77			333	0.0200
78			336	0.0080
79			346 मि	0.0380
80			348 मिन्ज	0.0196

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2176]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2021

S.O. 3118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Mirzapur in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Mirzapur in the State of Uttar Pradesh.

Serial No.	Taluk	Village	Survey number	Area (in hectares)
1	Chunar	Baraipur	589	0.1350
2			570	0.0126
3		Karhat	27 Minj	0.0110

Serial No.	Taluk	Village	Survey number	Area (in hectares)
4			25 Minj	0.0180
5			24 Minj	0.0158
6			21 Minj	0.0037
7			17 Minj	0.0109
8			9 Minj	0.0031
9			6 Minj	0.0116
10			518	0.0461
11			519	0.0225
12			521	0.0080
13			522	0.0080
14			401 Minj	0.0264
15			402 Minj	0.0180
16			403 Minj	0.0120
17			404 Minj	0.0240
18		Puraini	908 Minj	0.0659
19			880	0.0180
20			881	0.0150
21			882	0.0045
22			894	0.0134
23			939	0.0320
24			938 Minj	0.1050
25		Makaipur	237 Minj	0.0180
26			50	0.0050
27		Kundadih	404 Minj	0.0146
28			258 Minj	0.0714
29			332 Minj	0.1932
30			371 Minj	0.0437
31			397 Minj	0.0220
32			398 Minj	0.1242
33			410	0.0700
34			411	0.0020
35			409 Minj	0.0135
36			407 Minj	0.0873
37			159	0.0290
38			384 Minj	0.0400
39		Bahramganj	67 M	0.2500
40			86	0.0700
41			87	0.0510
42			88	0.0250
43			89	0.1390
44			90	0.2020
45			91	0.0250
46			92	0.0250
47			93	0.0630
48			94	0.0630
49			95	0.0130

Serial No.	Taluk	Village	Survey number	Area (in hectares)
50			102	0.1900
51			225	0.0700
52			229	0.0250
53			230 M	0.1520
54			231	0.0250
55			232	0.1500
56			256 M	0.0290
57			257	0.0670
58			258	0.0200
59			259	0.0100
60			260	0.0850
61			261	0.1610
62			262	0.0630
63			263	0.1260
64			264	0.1010
65			265	0.0630
66			266	0.1390
67			282 Minj	0.0030
68			283	0.0030
69			284 M	0.1600
70			289 Minj	0.0140
71			291	0.0550
72			294 M	0.1900
73			295 Minj	0.1788
74			296 Minj	0.0620
75			297	0.0300
76		Dargah Sharif	332 M	0.0740
77			333	0.0200
78			336	0.0080
79			346 M	0.0380
80			348 Minj	0.0196

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2176]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)